


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2743]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937

No. 2743]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3458(अ).-केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामतः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (i) इस आदेश का नाम इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2015 है।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से तीन माह के पश्चात लागू होगा।

2. **परिभाषाएं**: इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'अधिनियम' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) अभिप्रेत है:

(ख) 'उपयुक्त प्राधिकारी' से कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है-

(i) जिसका स्तर इस्पात मंत्रालय में अवर सचिव के स्तर से कम न हो:

(ii) राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबंधक:

(iii) राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग के निदेशक अथवा आयुक्त; और

(iv) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामित एक अधिकारी

(ग) "डीलर" से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कम्पनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्यथा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों का नकद में अथवा अस्थगित भुगतान के लिए या

कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारोबार करता हो।

- (घ) इस्पात और इस्पात उत्पादों से संबंधित “आईटीसी (एचएस) कोड” से अभिप्राय इंडियन ट्रेड क्लासीफिकेशन (हारमोनाइज्ड) सिस्टम्स कोड से है जैसा कि अनुसूची के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है:
- (ङ) “विनिर्माता” से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में कोई व्यक्ति, या कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है जो ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का उत्पादन, निर्माण एकत्रण अथवा विनिर्माण करता है तथा जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिंदू अविभक्त कुटुंब या कोई कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी भी शामिल है, जो ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा हिंदू अविभक्त कुटुंब या कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी, जैसा भी मामला हो द्वारा ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के उत्पादन, निर्माण, एकत्रण अथवा विनिर्माण किए जाने का दावा करता हो।
- (च) “अनुसूची” से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है:
- (छ) “विनिर्दिष्ट मानक” से इस्पात और इस्पात उत्पादों के संबंध में अनुसूची के स्तंभ (2) में प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय मानक अभिप्रेत है:
- (ज) “राज्य सरकार” से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उसका प्रशासक अभिप्रेत है:
- (झ) “इस्पात और इस्पात उत्पाद” से अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट मदें अभिप्रेत हैं जो कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों में शामिल है:
- (ञ) जो शब्द और पद यहाँ प्रयुक्त हुए हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जो अधिनियम में दिए हुए हैं।

3. **विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध:-** (1) कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के जरिए अनुसूची में दिए गए किसी ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों का विनिर्माण अथवा विक्रय के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हो और जिस पर प्रमाणन चिन्ह लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारतीय ब्यूरो का मानक चिन्ह न लगा हो।

परंतु निर्यात के लिए अपेक्षित ऐसे इस्पात अथवा इस्पात उत्पादों के निर्यात के संबंध में इस आदेश की कोई भी बात लागू नहीं होगी जो विदेशी खरीददारों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य विनिर्देशन के अनुरूप हो।

(2) अवमानक अथवा दोषपूर्ण इस्पात और इस्पात उत्पादों, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप न हों, को सूक्रैप के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो की जांच एवं परीक्षण योजना के अनुसार निपटाया जाएगा।

4. **प्रमाणन के लिए बाध्यता:-** (1) इस्पात और इस्पात उत्पादों के सभी विनिर्माता बीआईएस के इस मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और उसे बाद में भी बनाये रखने के लिए, यदि पहले प्राप्त न कर लिया हो, भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक चिन्ह के प्रयोग के लिए लाइसेंस की मंजूरी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

- (3) जब कोई व्यक्ति स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण का प्रस्ताव करता है तो वह मानक चिन्ह के प्रयोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से विधिमान्य लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही नियमित उत्पादन प्रारंभ करेगा।
5. **सूचना आदि मंगाने की शक्ति.**-(1) उपयुक्त प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से:-
- (क) किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने के लिए बुला सकता है जिसको वह इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए किसी इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण के संबंध में आवश्यक समझे या किसी ऐसे इस्पात तथा इस्पात उत्पाद के नमूने प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर सकता है;
- (ख) किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अथवा उससे संबंधित या उसके कब्जे में अथवा नियंत्रण में बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों और अन्य इस्पात और इस्पात उत्पादों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।
- (ग) जहाँ यह विश्वास होने का कारण विद्यमान हो कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है या उल्लिखित इस्पात और इस्पात उत्पाद विशिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं, तो उस स्थिति में किसी भी परिसर में प्रवेश और खोज-बीन करना और किसी भी इस्पात और इस्पात उत्पाद को जब्त करना।
- (2) तलाशी और जब्तीकरण संबंधी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान, जहाँ तक हो सकेगा, इस आदेश के तहत तलाशी और जब्तीकरण के लिए लागू होंगे।
6. **नमूनों का परीक्षण.**- मानक चिन्ह लगे और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मानक की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु लिए गए किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद के नमूने का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में ऐसी रीति से परीक्षण किया जाएगा, जो संबंधित भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट हो।
7. **विनिर्माताओं और डीलरों को निर्देश जारी करने की शक्ति.**- उपयुक्त प्राधिकारी विनिर्माता, और डीलरों को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा जो इस आदेश के अनुरूप हों और इस आदेश के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों।
8. **निर्देशों का अनुपालन.**- अनुसूची में दिए गए किसी इस्पात तथा इस्पात उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री के लिए भंडारण, बिक्री अथवा वितरण में लगा प्रत्येक व्यक्ति, जिसको इस आदेश के तहत कोई निर्देश जारी किया गया हो, ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।
9. **सूचना देने की अनिवार्यता.**- कोई भी विनिर्माता अथवा डीलर इस आदेश के उपबंधों की अवहेलना करने के आशय से पैराग्राफ 5 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई किसी सूचना को देने से इंकार नहीं करेगा अथवा अपने पास अथवा नियंत्रण में रखे किसी बही अथवा दस्तावेज या किसी इस्पात और इस्पात उत्पाद को नहीं छुपाएगा, नष्ट नहीं करेगा, उसको विकृत अथवा उसके स्वरूप को विरूपित नहीं करेगा।

अनुसूची
[पैराग्राफ 2(च) देखें]

भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन वाले इस्पात
उत्पादों की सूची

क्र.स.	भारतीय मानक नम्बर	शीर्षक	आई.टी.सी (एचएस)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	आईएस 432 : पार्ट 1	कॉन्क्रीट रिइनफोर्समेंट के लिए माइल्ड स्टील और मीडियम टेनसाइल स्टील बॉर्स तथा हार्ड-ड्रॉन स्टील वायर: पार्ट 1 माइल्ड स्टील और मीडियम टेनसाइल स्टील बॉर्स	72139190 72139990 72149190 72149990	72159090 72279090 72283019	72283029 72286099
2.	आईएस 432 : पार्ट 2	कॉन्क्रीट रिइनफोर्समेंट के लिए माइल्ड स्टील और मीडियम टेनसाइल स्टील बॉर्स तथा हार्ड-ड्रॉन स्टील वायर: पार्ट 2 हार्ड-ड्रॉन स्टील वायर	721710 721790 72299031	72299033 72299040 72299059	72299090
3.	आईएस 513	कोल्ड रिड्यूज्ड लो कार्बन स्टील शीट्स और स्ट्रीप्स	720915 720916 720917 720918 720925 720926 720927	720928 72099000 721123 72119090 72255010 72255020 72259900	72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990
4.	आईएस 1079	हॉट रोल्ड कार्बन स्टील शीट और स्ट्रीप	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839	720840 720852 720853 720854 72089000 72111300 721114	721119 72119090 722530 722540 72259900 722691 722699
5.	आईएस 1875	फोर्जिंग के लिए कार्बन स्टील बिलेट्स, ब्ल्यूम, स्लैब्स और बॉर्स	72071120	72072010	72249040

			72071190	72072090	72249091
			72071220	72149190	72249099
			72071290	72149990	72283029
			720719	72159090	72286099
6.	आईएस 2879	मेटल आर्क वैंडिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए माइल्ड स्टील	72061090	72132010	72241000
			72071190	72139110	72249091
			72071290	72139910	72249099
			72071920	72149990	72279090
			72071990		
7.	आईएस 3502	स्टील चेकर्ड प्लेट्स	72081000	72254019	72269910
			720840	72259900	72269990
			721114	72269130	
			721190	72269190	
8.	आईएस 5872	कोल्ड रोल्ल्ड स्टील स्ट्रीप्स (बॉक्स स्टैपिंग्स)	721123	721240	72269930
			721129	721250	72269952
			721220	72262030	72269990
			721230	72269210	
9.	आईएस 5986	स्ट्रक्चरल फॉर्मिंग और फ्लेंगिंग उद्देश्य के लिए हॉट रोल्ल्ड स्टील प्लेट उत्पाद	720825	720851	72119090
			720826	720852	72253090
			720827	720853	72254013
			720836	720854	72254019
			720837	72089000	72254020
			720838	72111300	72254030
			720839	721114	72259900
			720840	721119	722691
				72119012	722699
10.	आईएस 6240	लो प्रेशर लिक्विफिऐबल गैस सिलिन्डर्स के विनिर्माण के लिए हॉट रोल्ल्ड स्टील प्लेट (6 एमएम तक) शीट और स्ट्रीप	720825	720852	72119090
			720826	720853	72253090
			720827	720854	72253090
			720837	72089000	722540
					72259900
					722691
					722699

11.	आईएस 7283	ब्राइट बॉर्स एवं इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए मशीन्ड पार्ट के उत्पादन के लिए हॉट रोल्ड बॉर्स	721320	72159090	72286091
			721391	72279090	72286092
			721399	72283021	72286093
			72143000	72283022	72286099
			721491	72283023	
			721499	72283029	
12.	आईएस 7887	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए माइल्ड स्टील वायर रॉड	72139190	72139990	72279090
13.	आईएस 10748	वेल्डिड ट्यूब्स और पाइपों के लिए हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिप	720825	720838	72119090
			720826	720839	72253090
			720827	72089000	72259900
			720836	721114	722691
			720837	721119	722699
14.	आईएस 11513	कोल्ड रोलिंग उद्देश्यों के लिए हॉट रोल्ड कार्बन स्टील स्ट्रिप	720825	720838	72119090
			720826	720839	72253090
			720827	72089000	72259900
			720836	721114	722691
			720837	721119	722699
15.	आईएस 15647	वेल्डिड ट्यूब्स और पाइपों के लिए हॉट रोल्ड स्टील नैरो विड् स्ट्रिप	721114	721119	72119090

स्पष्टीकरण 1.- इस आदेश के प्रावधान कॉलम(2) में उल्लिखित प्रासंगिक भारतीय मानक संख्या के तहत शामिल अनुसूची के कॉलम (3) के अधीन वर्णित उत्पादों पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 2.- कॉलम (4) के तहत उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड्स की प्रकृति जेनेरिक और संकेतात्मक है।

[एफ.सं. 1(1)/2015-टीडी]

सुनील बडधवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**ORDER**

New Delhi, the 15th December, 2015

S.O. 3458(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2015.
 - (2) This Order shall come into force after three months from the date of its publication in the official Gazette.
2. Definitions.- In this Order, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
 - (b) “appropriate authority” means, -
 - (i) an officer not below the rank of an Under Secretary in the Ministry of Steel;
 - (ii) General Managers, District Industries Centres of State Governments;
 - (iii) Directors or Commissioners of Industries of the State Governments or Union territories; and
 - (iv) an officer nominated by the Director General, Bureau of Indian Standards;
 - (c) “dealer”, in relation to steel and steel products, means a person who, or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which carries on, directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing steel and steel products whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;
 - (d) “ITC(HS) Codes”, in relation to the Steel and Steel Products, mean the Indian Trades Classification (Harmonized Systems) Codes as specified in the entries in Column (4) of the Schedule;
 - (e) “manufacturer”, in relation to steel and steel products, means a person who or a firm or a Hindu undivided family or a company or a co-operative society, which produces, makes, assembles or manufactures steel and steel products and includes a person who, or a firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society which claims such steel and steel products to be produced, made, assembled or manufactured by such person or firm or Hindu undivided family or a company or a co-operative society, as the case may be;
 - (f) “Schedule” means the Schedule annexed to this Order;
 - (g) “specified standard” in relation to steel and steel products, means the Indian Standard as specified in the entries in column (2) of the Schedule;
 - (h) “State Government” in relation to a Union territory, means the Administrator thereof;
 - (i) “steel and steel products” mean the items specified in column (3) of the Schedule as covered in the specified Indian Standards in column (2);
 - (j) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Prohibition regarding manufacture, storage, sale, distribution etc.**- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any steel and steel products specified in the Schedule, which do not conform to the specified standards and do not bear Standard Mark of the Bureau of Indian Standards, on obtaining certification marks licence:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of steel and steel products required for export, which conform to any other specification required by the foreign buyer.

 - (2) The sub-standard or defective steel and steel products, which do not conform to the specified standard, shall be disposed off as scrap as per the scheme of testing and inspection of the Bureau of Indian Standards.
4. **Obligation for certification.**-
 - (1) All manufacturers of steel and steel products shall make an application to the Bureau of Indian Standards for obtaining the licence and to maintain it thereafter for use of the Standard Mark of BIS, if not already obtained.

- (2) The grant of licence by the Bureau of Indian Standards for use of the Standard Mark shall be as per the provisions of the Act and rules and regulations made there under.
- (3) When any person by himself or through any person on his behalf proposes to manufacture steel and steel products, he shall commence regular production only after obtaining a valid licence from Bureau of Indian Standards for the use of the Standard Mark.
5. **Power to call for information, etc.-** (1) The appropriate authority may, with a view to securing compliance with this Order,-
- (a) require any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products to give such information as he deems necessary relating to the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products for the implementation of this Order or require any such person to furnish to him samples of any such steel and steel products;
- (b) inspect or cause to be inspected any books or other documents and other steel and steel products kept by or belonging to or in the possession or under the control of any person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products.
- (c) enter and search any premises and seize any steel and steel products in respect of which it has reason to believe that a contravention of this Order has been committed or the said steel and steel products is not of the specified standard.
- (2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this order.
6. **Testing of samples.-** Samples of any steel and steel products bearing the Standard Mark and drawn by the appropriate authority, for ascertaining whether they conform to the specified standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau of Indian Standards and as specified in the relevant Indian Standard.
7. **Power to issue direction to manufactures and dealers. -** The appropriate authority may issue such directions to manufacturers and dealers, consistent with the provisions of the Act or this Order, as may be necessary for carrying out the provisions of this Order.
8. **Compliance of directions.-** Every person engaged in the manufacture, storage for sale, sale or distribution of any steel and steel products specified in the Schedule to whom any direction is issued under this Order, shall comply with such direction.
9. **Obligation to furnish information. –** No manufacturer or dealer shall with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully demanded from him under paragraph 5 or conceal, destroy, mutilate or deface any books or documents or any steel and steel products kept by, or in the possession or control of, such person.

SCHEDULE

[See paragraph 2(f)]

List of steel products under mandatory Bureau of Indian Standards certification

Sl. No.	Indian Standard number	Title	ITC(HS)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	IS 432 : Part 1	Mild Steel and Medium Tensile Steel Bars and Hard-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement: Part 1 Mild steel and medium tensile steel bars	72139190 72139990 72149190 72149990	72159090 72279090 72283019	72283029 72286099
2.	IS 432 : Part 2	Mild steel and Medium Tensile steel bars and Hard-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement: Part 2 Hard-Drawn Steel Wire	721710 721790 72299031	72299033 72299040 72299059	72299090
3.	IS 513	Cold reduced low carbon steel sheets and strips	720915 720916	720928 72099000	72269210 72269220

			720917 720918 720925 720926 720927	721123 72119090 72255010 72255020 72259900	72269920 72269930 72269940 72269952 72269990
4.	IS 1079	Hot Rolled Carbon Steel Sheet and Strip	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839	720840 720852 720853 720854 72089000 72111300 721114	721119 72119090 722530 722540 72259900 722691 722699
5.	IS 1875	Carbon steel billets, blooms, slabs and bars for forgings	72071120 72071190 72071220 72071290 720719	72072010 72072090 72149190 72149990 72159090	72249040 72249091 72249099 72283029 72286099
6.	IS 2879	Mild steel for metal arc welding electrodes	72061090 72071190 72071290 72071920 72071990	72132010 72139110 72139910 72149990	72241000 72249091 72249099 72279090
7.	IS 3502	Steel Chequered Plates	72081000 720840 721114 721190	72254019 72259900 72269130 72269190	72269910 72269990
8.	IS 5872	Cold Rolled Steel Strips (Box Strappings)	721123 721129 721220 721230	721240 721250 72262030 72269210	72269930 72269952 72269990
9.	IS 5986	Hot Rolled Steel Flat Products for Structural Forming and Flanging Purposes	720825 720826 720827 720836 720837 720838 720839 720840	720851 720852 720853 720854 72089000 72111300 721114 721119 72119012	72119090 72253090 72254013 72254019 72254020 72254030 72259900 722691 722699
10.	IS 6240	Hot Rolled Steel Plate (up to 6 mm) Sheet and Strip for the Manufacture of Low Pressure Liquefiable Gas Cylinders	720825 720826 720827 720837 720838 720839	720852 720853 720854 72089000 721114 721119	72119090 72253090 722540 72259900 722691 722699
11.	IS 7283	Hot Rolled bars for production of bright bars and machined parts for engineering applications	721320 721391 721399 72143000 721491 721499	72159090 72279090 72283021 72283022 72283023 72283029	72286091 72286092 72286093 72286099
12.	IS 7887	Mild steel wire rods for general engineering purposes	72139190	72139990	72279090
13.	IS 10748	Hot Rolled Steel Strip for Welded Tubes and Pipes	720825 720826 720827 720836 720837	720838 720839 72089000 721114 721119	72119090722530 90 72259900 722691 722699

14.	IS 11513	Hot Rolled Carbon Steel Strip For Cold Rolling Purposes	720825 720826 720827 720836 720837	720838 720839 72089000 721114 721119	72119090722530 90 72259900 722691 722699
15.	IS 15647	Hot rolled steel narrow width strip for welded tubes and pipes	721114	721119	72119090

Explanation 1.- The provisions of this Order shall apply to the products described under column (3) of the Schedule covered under relevant Indian Standard number mentioned under column (2).

Explanation 2.- The ITC(HS) Codes mentioned under column (4) are generic and indicative in nature.

[F. No. 1(1)/2015-TD]

SUNIL BARTH WAL, Jt. Secy.